

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय
देख रेख शाखा, पुराना सचिवालय दिल्ली-54

स:एफ 3/4/सी टी बी/08-09/ 224

दिनांक : 11/02/2021

विषय: बंदर भगाने के लिए निविदा ।

निम्नलिखित शर्तों पर बंदर भगाने के लिए सील बंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं:

1. दिल्ली का निवासी जिसको सरकारी विभाग में कम से कम 2 वर्ष का बंदर भगाने का अनुभव हो, निविदा दे सकता है। बोली की मासिक दर अंको और शब्दों में लिखी जायेगी। सबसे कम बोली को स्वीकार कर काम दिया जाएगा। अधूरी या अस्पष्ट बोली को रद्द माना जाएगा। कार्य का समय प्रातः 9.00 बजे से शाम 6.30 बजे होगा।
2. निविदा (मूल्य बोली) के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ लगाने होंगे
 - (i) फोटो पहचान पत्र
 - (ii) दिल्ली निवास का प्रमाण पत्र
 - (iii) सरकारी विभाग में कम से कम 2 वर्ष का बंदर भगाने का अनुभव का प्रमाण पत्र
 - (iv) जीएसटी पंजीकरण की प्रति
3. बंदर से निपटने की सेवाएं प्रदान करने का समय सप्ताह में छह दिन यानी सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम 6.30 बजे तक रहेगा।
4. एजेंसी द्वारा बिल जमा करने पर भुगतान अगले महीने में किया जाएगा। किसी भी दिन अनुपस्थिति रहने की स्थिति में महीने के बिल से प्रो-राटा आधार पर कटौती की जाएगी।
5. बंदर भगाने वाला व्यक्ति, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में निहित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और उनका पालन करते हुए, शिक्षा निदेशालय के मुख्यालय के परिसर (फर्शछत/) से बंदरों को भगाने के लिए जिम्मेदार होगा।
6. शिक्षा निदेशालय इस अवधि के दौरान मंकी हैंडलर को शारीरिक चोट लगने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त खर्च वहन नहीं करेगा
7. यदि बंदर से निपटने की सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं, तो एजेंसी को दिए गए कार्य को बिना किसी नोटिस के या बिना किसी कारण बताए समाप्त कर दिया जाएगा।
8. सील बंद बोली के लिफाफे देख रेख शाखा, शिक्षा निदेशालय, कमरा नंबर 256, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 में दिनांक 24.02.2021 को शाम 5.00 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। उक्त समय के बाद प्राप्त होने वाले लिफाफों को विचार हेतु नहीं खोला जाएगा।



अनुभाग अधिकारी (देखरेख)

Copy to Incharge Computer Cell with request to upload on the website of Directorate.